भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *25
02 दिसंबर, 2025 को उत्तर के लिए

पश्चिम बंगाल में प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना और पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के अंतर्गत आवंटित धनराशि

*25. श्री सौमित्र खान:
श्री भोजराज नाग:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में विशेषकर पश्चिम बंगाल में सतत मत्स्य पालन, पशुधन और डेयरी विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई प्रमुख पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में विशेषकर पश्चिम बंगाल में प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) और पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) जैसे प्रमुख कार्यक्रमों के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि आबंटित, जारी की गई तथा उपयोग में लाई गई है; और

(ग) क्या सरकार द्वारा मूल्यवर्धन और निर्यात को बढ़ाने के लिए मात्स्यिकी अवसंरचना, शीत श्रृंखला सुविधाओं और मछली अवतरण केन्द्रों के आधुनिकीकरण में सहायता करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (ग) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"पश्चिम बंगाल में प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना और पशुपालन अवसंरचना विकास निधि" के अंतर्गत आवंटित धनराशि' के संबंध में 02.12.2025 को उत्तर के लिए संसद सदस्य श्री सौमित्र खान और श्री भोजराज नाग द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं *25 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग) : मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार पश्चिम बंगाल सहित देश में मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है, जिनके नाम हैं - (i) प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY), (ii) फिशरीस एंड एक्वाकल्चर इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फ़ंड (FIDF), (iii) राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM), (iv) राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM), (v) पशुधन गणना और एकीकृत नमूना सर्वेक्षण योजना (LC & ISS) (vi) डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को सहायता (SDCFPO) (vii) उद्यमिता विकास और रोजगार सृजन (EDEG), (viii) पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP), (ix) राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD) और (x) डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि (DIDF)।

प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत विगत पांच वर्षों के दौरान, देश में मत्स्यपालन और जलीय कृषि के विकास के लिए 9189.74 करोड़ रुपए के केंद्रीय शेयर के साथ कुल 21274.13 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। पश्चिम बंगाल के लिए PMMSY के तहत 350.00 करोड़ रुपए के केंद्रीय शेयर के साथ 910.00 करोड़ रुपए का निवेश लक्ष्य रखा गया था। हालांकि, विभिन्न स्तरों पर कई बार आग्रह के बावजूद राज्य सरकार ने कार्यान्वयन के शुरुआती दो वर्षों यानी 2020-21 और 2021-22 के दौरान कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया और PMMSY योजना में भाग नहीं लिया। राज्य सरकार ने 2022-23 से विभिन्न मात्स्यिकी विकास प्रस्तावों को प्रस्तुत करके PMMSY में भाग लेना शुरु किया लेकिन प्रस्तुत प्रस्ताव भी PMMSY के अंतर्गत पश्चिम बंगाल के लिए निर्धारित निवेश लक्ष्य के अनुरूप नहीं थे । तदनुसार, 221.78 करोड़ रुपए के केंद्रीय शेयर के साथ 545.16 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी गई है । पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि अब तक जारी 114.07 करोड़ रुपए के केंद्रीय शेयर में से मात्र 58.51 करोड़ रुपए का ही उपयोग किया गया है जो निर्गत राशि का लगभग 51% है । पश्चिम बंगाल में PMMSY के तहत स्वीकृत परियोजनाओं को शीघ्रातिशीघ्र शुरू करने और कार्यान्वयन में तेज़ी लाने के लिए माननीय केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने 2 अगस्त, 2025 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल के राज्य मत्स्यपालन विभाग के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की ।

प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत पश्चिम बंगाल में मात्स्यिकी और जलीय कृषि के विकास के लिए उठाए गए प्रमुख कदमों में नम्नलिखित शामिल है - 221 नए फ्रेशवॉटर फिनफिश हैचरी, कोल्ड स्टोरेज / आइस प्लांट के 53 यूनिट्स, 124 हेक्टेयर बायो-फ्लोक तालाब, रीसरक्यूलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (RAS) के 95 यूनिट्स, फीड मिलों / प्लांट्स के 184 यूनिट्स, फिश रीटेल / कियोस्क के 40 यूनिट्स, रोग निदान मोबाइल लैब के 3 यूनिट्स, 1 एक्वाटिक रेफरल लैब, 4 मौजूदा फिशिंग हार्बर का मॉडर्नाइज़ेशन/अप-ग्रेडेशन, 7 अत्याधुनिक होलसेल फिश मार्केट और एक इंटीग्रेटेड मॉडर्न कोस्टल फिशिंग विलेज, जिनकी कुल लागत 242.53 करोड़ रुपए है। इसके अलावा, FIDF के तहत पश्चिम बंगाल के लिए 66.81 करोड़ रुपए के परिव्यय से 18 फिशरीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स (3 प्राईवेट और 15 सरकारी) को स्वीकृति दी गई है। 18 FIDF प्रोजेक्ट्स में से केवल एक प्राईवेट प्रोजेक्ट पूरा किया गया है और 17 प्रोजेक्ट्स का कार्यान्वयन बाकी हैं ।

पशुधन और डेयरी क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल को पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF) के तहत 508.90 करोड़ रुपए की 32 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिसमें 13.60 करोड़ रुपए की ब्याज सहायता (इंटरेस्ट सबवेनशन) जारी की गई है। AHIDF के तहत स्वीकृत परियोजनाओं में 8 डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट्स, 1 मीट प्रोसेसिंग यूनिट, 14 पशु चारा संयंत्र और 9 नस्ल सुधार और मल्टीप्लीकेशन फार्म शामिल हैं। राष्ट्रीय स्तर पर, AHIDF के अंतर्गत 14,786 करोड़ रुपए के 428 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिसमें 430 करोड़ रुपए की ब्याज सहायता जारी की गई है। देशी नस्लों सहित गोजातीय पशुओं के दूध उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने की मंशा से किसानों के दरवाजे पर मुफ्त सेवा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन- राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान (AI) कार्यक्रम के तहत, विगत पांच वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल को 97.51 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं जिसमें 85.94 लाख कृत्रिम गर्भाधान टीकों (डोसेज) के माध्यम से 53.68 लाख पशुओं को कवर किया गया है । इसके अलावा, 2014-15 से पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में चल रही राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD) स्कीम के तहत, 403.47 लाख रुपए के 3 प्रोजेक्ट्स को स्वीकृति दी गई है, जिसमें केंद्र का शेयर 393.47 लाख रुपए है और 363.16 लाख रुपए जारी किए गए हैं।

मूल्य संवर्धन और निर्यात के लिए फिशरीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड-चेन सुविधाओं और फिश लैंडिंग सेंटर्स के आधुनिकीकरण में सहायता प्रदान करने के लिए मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने PMMSY और FIDF के अंतर्गत 11212.08 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से परियोजनाओं को स्वीकृत किया है जिसमें कोल्ड स्टोरेजस, आइस प्लांट्स, रेफ्रिजेरेटेड और इंसुलेटेड ट्रांसपोर्ट वेहिकल्स, फिश मारकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, फिश प्रोसेसिंग प्लांट्स तथा फिशिंग हार्बर और फिश लैंडिंग सेंटर्स का विकास / आधुनिकीकरण शामिल है।

भारत सरकार की विभिन्न सुविचारित नीतियों और पहलों के परिणामस्वरूप, भारत का सीफूड एक्सपोर्ट 2013-14 में 30,213 करोड़ रुपए से बढ़कर 2023-24 में 60,523.89 करोड़ रुपए हो गया है। मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी (MPEDA) ब्रांड प्रमोशन और अंतराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से भारतीय मात्स्यिकी उत्पादों को बढ़ावा देती है, जबकि एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल (EIC) हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है। मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और अन्य महत्वपूर्ण हितधारकों के साथ सहयोग करके सीफूड एक्सपोर्ट और वैल्यू एडेड प्रोडक्टस के शेयर में संवर्धन करने के लिए प्रमुख और उभरते सी फूड एक्सपोर्ट देशों जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन, चीन, जापान, रशिया, थाईलैंड, न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करता है। सीफ़ूड सेक्टर में भारत का ग्लोबल प्रेसेंस सुदृढ़ करने के लिए, सरकार विनियमों में बदलाव ला रही है, इंपोर्ट प्रक्रिया को व्यवस्थित कर रही है, और मुख्य एक्वा फ़ीड सामग्रियों, एक्वाकल्चर इनपुट्स और फिश प्रोसेसिंग तथा वैल्यू एडीशन की सामग्रियों पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करके बिज़नेस को आसान बना रही है।

******